

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 176 सन 2021

अनवान :-

1. किशनसिंह पुत्र नानूसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भानीसिंह पुत्र नानूसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. मंजु कंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. गोविन्दसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. दीपिका कंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. धीरजकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. ओमकंवर पत्नी भादरसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. कृष्णा कंवर पुत्री भादरसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
8. बंजरगसिंह पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
9. भवंरसिंह पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
10. रणजीतसिंह पुत्री भादरसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
11. अर्जूनसिंह पुत्र नानूसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
12. देवीसिंह पुत्र नानूसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
13. मोहनकंवर पुत्री नानूसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
14. सन्तोष कंवर पुत्री नानूसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
15. सुन्दर कंवर पुत्री नानूसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
16. प्रेमकंवर पत्नी नानूसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 30/09/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा थिरानी के खाता संख्या 141/117 की कुल 35.7890 हैक् भूमि के से सयूक्त तौर से 8.0100 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से सयूक्त खाते में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा नानूसिंह पुत्र गोपालसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा नानूसिंह पुत्र गोपालसिंह के देहान्त होने पर बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से दर्ज है वादी के दादा नानूसिंह पुत्र गोपालसिंह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 4, 5 वादी के भाई की पुत्रीया है, प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 वादी के भाई भादर की पत्नी /पुत्री/पुत्र है प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 वादी के भाई/बहन है प्रतिवादी संख्या 4 ता 16 ने परिवारिक समझौता के अनुसार अन्य खाते में भूमि रखी जाकर वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 जो एक ही परिवार के सदस्य है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वज नानूसिह पुत्र गोपालसिह के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 16 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/चाचा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 17 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा थिरानी के खाता संख्या 141/117 की कुल 35.7890 हैक् भूमि कें से सयूक्त तौर से 8.0100 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से सयूक्त खाते में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा नानूसिह पुत्र गोपालसिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा नानूसिह पुत्र गोपालसिह के देहान्त होने पर बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से दर्ज है वादी के दादा नानूसिह पुत्र गोपालसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 4, 5 वादी के भाई की पुत्रीया है, प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 वादी के भाई भादर की पत्नी /पुत्री/पुत्र है प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 वादी के भाई/बहन है प्रतिवादी संख्या 4 ता 16 ने परिवारिक समझौता के अनुसार अन्य खाते में भूमि रखी जाकर वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिरानी के खाता संख्या 141/117 की कुल 35.7890 हैक् भूमि कें से

सयूक्त तौर से 8.0100हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से सयूक्त खाते में दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि नानूराम वल्द गोपाल के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानूराम वल्द गोपाल के नाम से दर्ज है वादी के दादा नानूराम वल्द गोपाल के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात पैतृक सम्पति है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 16 ने परिवारि समझौते के अनुसार वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 16 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा थिरानी के खाता संख्या 141/117 की कुल 35.7890हैक् भूमि कें से सयूक्त तौर से 7.210हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से सयूक्त खाते में दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 4 ता 11, 13 ता 16 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 12 ,17 एवं जमाबन्दी में दर्ज जीराजसिह , फतेहकंवर , सजनादेववी, सहीराम , का हिस्सा यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30/09/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. किशनसिंह पुत्र नानूसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. भानीसिंह पुत्र नानूसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. मंजु कंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. गोविन्दसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. दीपिका कंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. धीरजकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. ओमकंवर पत्नी भादरसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. कृष्णा कंवर पुत्री भादरसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
8. बंजरगसिंह पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
9. भवंरसिंह पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
10. रणजीतसिंह पुत्री भादरसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
11. अर्जुनसिंह पुत्र नानूसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
12. देवीसिंह पुत्र नानूसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
13. मोहनकंवर पुत्री नानूसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
14. सन्तोष कंवर पुत्री नानूसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
15. सुन्दर कंवर पुत्री नानूसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
16. प्रेमकंवर पत्नी नानूसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 176 सन 2021 निर्णय दिनांक- 30/09/21

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिरानी के खाता संख्या 141/117 की कुल 35.7890 हैक् भूमि के से सयूक्त तौर से 7.210 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से सयूक्त खाते में दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 4 ता 11, 13 ता 16 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 12 ,17 एवं जमाबन्दी में दर्ज जीराजसिंह , फतेहकंवर , सजनादेववी, सहीराम , का हिस्सा यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/9/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)